



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं0 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून, 248001

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org

विज्ञापन संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0(टेक्नी0)/08/2021-22/964

दिनांक: 25 नवम्बर, 2023

एक्स-रे टैक्नीशियन परीक्षा- 2023

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत एक्स-रे टैक्नीशियन के रिक्त 34 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत एक्स-रे टैक्नीशियन के रिक्त 34 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से निम्नानुसार आवेदन कर सकते हैं:-

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	---	दिनांक 25 नवम्बर, 2023 (शनिवार)
ऑनलाईन आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि	---	दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 (बुधवार)
ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	---	दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार) (सांय 05.00 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking /Debit Card/ Credit Card द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	---	दिनांक 26 दिसम्बर, 2023 (मंगलवार) (सांय 05.00 बजे तक)

पदों का विवरण

01. **रिक्तियों का विवरण:-** चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड में समूह 'ग' के अन्तर्गत एक्स-रे टैक्नीशियन पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 34 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नानुसार है:-

पद का नाम	वेतनमान	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल
एक्स-रे टैक्नीशियन	₹44,900- ₹1,42,400 (लेवल 7)	15	03	07	03	06	34

02. **क्षैतिज आरक्षण का विवरण निम्नानुसार है-**

क्र0सं0	श्रेणी	रिक्त पदों की संख्या	उत्तराखण्ड महिला 30%	दिव्यांगजन 04%	भूतपूर्व सैनिक 05%	स्व0 सं0 से0 आश्रित 02%	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/ राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे 05%	अन्य
1	अनुसूचित जाति	15	04	00	00	00	00	11
2	अनुसूचित जनजाति	03	00	00	00	00	00	03
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	07	02	00	00	00	00	05
4	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	03	00	00	00	00	00	03
5	अनारक्षित	06	01	00	00	00	00	05
योग		34	07	00	00	00	00	27

03. वेतनमान:- ₹44,900— ₹1,42,400 /— (लेवल 7)

04. पद का स्वरूप:- अराजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त।

05. शैक्षिक अर्हता एवं अधिमानी अर्हता:- एक्स-रे टैक्नीशियन के पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि:

1. अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तराखण्ड से विज्ञान के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।
2. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण के योग्य एक्स-रे टैक्नीशियन/टैक्नालॉजी का डिप्लोमा अथवा डिग्री या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त डिप्लोमा अथवा डिग्री हो।
3. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में पंजीकरण का प्रमाण पत्र हो।
4. हिन्दी का कार्य साधक ज्ञान हो।

अधिमानी अर्हताएं:-

1. प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 02 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या
2. राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र अथवा "सी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

06. अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड स्टेट मेडिकल फैकल्टी अथवा उत्तराखण्ड पैरामेडिकल काउन्सिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।

07. आयु :- आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई 2023 को न्यूनतम 18 वर्ष हो तथा 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो।

परन्तु उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों जो कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाय, को उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी नियमों में विनिर्दिष्ट की गई हो।

08. अधिकतम आयु सीमा में छूट- विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या: 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या: 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या- 6/1/72 कार्मिक-2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। शासनादेश सं०- 406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021 में यह उल्लिखित है कि शासनादेश सं०- 124/XXX(2)2020-35(1)2001, दिनांक 22 मई, 2020 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत है। भारत सरकार के

O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a 14 higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

09. **अनिवार्य/वांछनीय अर्हता:**— उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए, वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसने अपनी हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की हो,

परन्तु यह कि सैनिक/अर्द्ध सैनिक बलों में कार्यरत तथा राज्य सरकार अथवा उसके अधीन स्थापित किसी राजकीय/स्वायत्तशासी संस्था में नियमित पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कार्मिकों एवं केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित पदों पर नियमित रूप से उत्तराखण्ड में कार्यरत ऐसे कर्मी, जिनकी सेवाएं उत्तराखण्ड से बाहर स्थानांतरित नहीं हो सकती हों, स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो, तथा उनके पुत्र/पुत्री, राज्याधीन सेवाओं में समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु आवेदन के पात्र होंगे, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए सम्बन्धित संस्था/विभाग के सक्षम अधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि अभ्यर्थी स्वयं या उनके माता/पिता/पति/पत्नी की सेवा उत्तराखण्ड राज्य से बाहर स्थानान्तरणीय नहीं है।

परन्तु यह और कि राज्य के स्थायी निवासी जो आजीविका/अध्ययन हेतु उत्तराखण्ड के बाहर निवासरत हैं, के स्वयं अथवा उनके पति/पत्नी, जैसी भी स्थिति हो तथा उनके पुत्र/पुत्री भी समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर आवेदन हेतु पात्र होंगे।

10. **अनापत्ति प्रमाण पत्र**— जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी सेवा में हो, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। केन्द्र या राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में बोर्ड द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

11. **आरक्षण:**—

- लम्बवत् आरक्षण**— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।
- क्षैतिज आरक्षण**— उत्तराखण्ड महिला, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों, उत्तराखण्ड राज्य के अनाथ बच्चे एवं दिव्यांग अभ्यर्थी को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।
- आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की छाया प्रति ऑनलाईन आवेदन करने के समय आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
- शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/XXXVI(3)/2019/03(1)/2019 दिनांक 05 फरवरी, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का लाभ मात्र उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी अभ्यर्थियों

को ही अनुमन्य होगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत ऑनलाईन करने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में किसी भी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं है। 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' हेतु शासनादेश संख्या 51/XXX(2)/2021-53(01)/2001 दिनांक 09 फरवरी, 2021 में दी गई व्यवस्था के अनुसार यदि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पद पर पात्र अभ्यर्थी न मिलने की दशा में ऐसे पद को अनारक्षित श्रेणी में समायोजित किया जायेगा। **वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जो कि वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय के आधार पर जारी किया गया हो।**

- e. शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: 397/XXX(2)/2019-30(2)/2019 दिनांक 17 दिसम्बर, 2019 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवा में सेवायोजित करने के उद्देश्य से अनारक्षित श्रेणी के पदों पर क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। **"अनाथ बच्चों"** से उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित तथा पंजीकृत स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों से है, जिनके माता-पिता एवं माता-पिता पक्ष के किसी भी रिश्तेदारों की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। उत्तराखण्ड राज्य में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास निदेशालय अन्तर्गत संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को, जिनकी पुष्टि अपेक्षित अभिलेखों से सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी) द्वारा समुचित रूप से करते हुये सम्बन्धित जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जायेगा। आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त जारी प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

शासनादेश संख्या: 11/XXX(2)/2022-30(2) दिनांक 16 फरवरी 2022 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता-पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/अशासकीय सेवाओं में क्षैतिज आरक्षण नियमावली 2021 के अनुसार प्रभावित बच्चों/अनाथ बच्चों को उत्तराखण्ड लोक सेवाओं में सेवायोजन हेतु 05 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है। किसी राज्याधीन लोक सेवा और पद पर अनाथ बच्चों, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु उनके जन्म से 21 वर्ष की आयु में हुई हो, के लिए आरक्षण के अधीन चयनित कोई अनाथ, जिस श्रेणी का होगा, उसे उस श्रेणी के प्रति समायोजित किया जायेगा। अनाथ बच्चों के लिए आरक्षित पदों पर कोई योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उन पद को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा बल्कि समान श्रेणी के प्रवीणता क्रम में आने वाले योग्य अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। शासनादेश संख्या: 11/XXXI(2)/2022-30(2)2019, दिनांक-16 फरवरी, 2022 के क्रम में अनाथ बच्चों को आवेदन पत्र में दावित ऊर्ध्वाधर श्रेणी के सापेक्ष आयु संबंधी छूट हेतु प्राविधान अनुमन्य हैं।

- f. दिव्यांग आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की दिव्यांगता होना अनिवार्य है। जिस-जिस दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित है, उसी दिव्यांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा। दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार दिव्यांगता श्रेणी OL (One Leg Affected) (एक पैर प्रभावित), HH (Hard to Hearing)/PD (Partly Deaf) (श्रवण शक्ति में ह्रास/आंशिक बधिर) अभ्यर्थियों को ही एक्स-रे टैक्नीशियन के पदों हेतु आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। एक्स-रे टैक्नीशियन पद हेतु कोई दिव्यांगजन का पद आरक्षित नहीं है परन्तु उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तदक्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

- g. पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्य कर्मियों को शासनादेश संख्या: 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
- h. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के जो अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी के लिये आवेदन करेंगे, उन्हें उत्तराखण्ड राज्य का आरक्षित श्रेणी में होने का उत्तराखण्ड के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये वही अभ्यर्थी आरक्षण श्रेणी में आवेदन करेंगे, जिनका उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का होने का प्रमाण पत्र शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार निर्गत किया गया हो। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात् दिनांक 25 दिसम्बर 2020 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अन्तिम तिथि 26 दिसम्बर 2023 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।
- i. **“पूर्व सैनिक”** से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और जो— **(एक)** अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या **(दो)** चिकित्सीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या **(तीन)** जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कार्मिकों की कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या **(चार)** विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना के पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्युत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेज्युटी प्रदान की गई है और इसमें टैरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं—(क) निरंतर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (ख) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, (ग) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।
नोट: पूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।
- j. **“स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के आश्रित”** से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सैनानी के (क) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (ख) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) (ग) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।
- k. आरक्षण का लाभ केवल उत्तराखण्ड के नागरिकों को ही अनुमन्य होगा, जिसके लिये उत्तराखण्ड के उस जनपद के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो, जहां का वह व्यक्ति निवासी हो।
- l. उत्तराखण्ड महिला का आरक्षण में उसी महिला अभ्यर्थी को सम्मिलित किया जायेगा, जिसने उत्तराखण्ड की स्थायी निवासी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो तथा जिनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में सम्बन्धित श्रेणी की उपश्रेणी में **‘उत्तराखण्ड महिला’** का अंकन किया गया हो।
- m. जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।
- n. ऑनलाईन आवेदन पत्र में दर्शायी गई सम्बन्धित आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

- o. उपर्युक्त के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने वाले अभ्यर्थी की गणना आरक्षित श्रेणी के रूप में नहीं की जायेगी।
- p. **एक्स-रे टैक्नीशियन के विज्ञापित रिक्त पदों में पूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, स्वतन्त्रता संग्राम सैनिकी के आश्रित तथा उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे उपश्रेणी में कोई पद आगणित नहीं हो रहा है। इन उपश्रेणियों में यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन करता है तो वह अनारक्षित श्रेणी में आवेदन कर सकता है परन्तु उन्हें उच्चतम आयुसीमा में छूट नहीं दी जायेगी।**

12. राष्ट्रीयता :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी:-

(क) भारत का नागरिक हो: या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो: या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तांजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार के पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी आवश्यक रूप से अपेक्षा की जायेगी, कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें:

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी:-ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

13. चरित्र:- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिये सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति- प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी:-संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वधीन में या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

14. वैवाहिक प्रास्थिति:- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित रही हो।

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती हैं, यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

15. शारीरिक स्वस्थता:-

01. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षता पूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया है।
02. सेवा में अन्य पदों के मानकों में वित्तीय हस्त पुस्तिका, खण्ड- दो, भाग- तीन के अध्याय- तीन में दिये गये मूल नियम- 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा,
परन्तु यह कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (अधिनियम संख्या 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा-34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा,
परन्तु यह और कि, पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

16. चयन प्रक्रिया:- उत्तराखण्ड एक्स-रे प्राविधिज्ञ सेवा (संशोधन नियमावली, 2022) के अनुसार परीक्षा पाठ्यक्रम निम्नानुसार है:-

01. चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा सम्बन्धित पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों की होगी। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
02. लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात्, अभ्यर्थियों को साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
03. लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ ट्रिप्लीकेट में होगी तथा ट्रिप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
04. लिखित परीक्षा के पश्चात्, लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer key) बोर्ड की वेबसाईट www.ukmssb.org पर प्रदर्शित की जायेगी।
05. लिखित परीक्षा जनपद देहरादून तथा हल्द्वानी में आयोजित की जानी प्रस्तावित है, जिस पर तत्समय की परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
06. लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु दिशा निर्देश-
 - I. लिखित परीक्षा में सामान्य (Unreserved), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) तथा आर्थिक रूप से कमजारे वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति (SC) व अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य है।
 - II. वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनाई जायेगी।
 - III. लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में सही उत्तर का 01 अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।
 - IV. प्रश्न पत्र पुस्तिका में हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रश्न और विकल्प दिये होंगे।
 - V. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
 - VI. लिखित परीक्षा के ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet) ट्रिप्लीकेट में होंगे। ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक की मूल एवं द्वितीय प्रति अलग से संरक्षित रखी जाएगी तथा तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की

अनुमति होगी। प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे।

VII. गलत उत्तरों के लिए दण्ड— वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा—

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, जो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।

(घ) ओ.एम.आर. शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना/छेड़छाड़ आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा एक उत्तर विकल्प को खुरच कर या व्हाइटनर आदि का प्रयोग करके मिटाकर अन्य उत्तर विकल्प का गोला भरा गया है, तो उन्हें उस उत्तर का अंक नहीं मिलेगा एवं ऋणात्मक अंक की भी कटौती की जायेगी।

(च) अभ्यर्थी अपनी ओ.एम.आर. शीट में गलत रोल नम्बर अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या कुछ भी अंकित न करता है तो उसकी ओ.एम.आर. शीट का मुल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

17. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश:-

a. अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जाएं।

b. ऑनलाइन आवेदन हेतु **एक्स-रे टैक्नीशियन परीक्षा-2023** के सम्मुख **"Click Here"** पर जाएं एवं **Continue** करें।

c. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर जायें। ऑनलाइन आवेदन पत्र उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 (बुधवार) से www.ukmssb.org पर उपलब्ध रहेगा।

d. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने तथा आवश्यक अभिलेख संलग्न करने की अन्तिम तिथि 26 दिसम्बर 2023 (मंगलवार) (सांय 05.00 बजे) है।

e. अभ्यर्थी को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने के पश्चात् ही आवेदन करें।

f. जो अभ्यर्थी आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक सम्बन्धित पद के सापेक्ष अर्हता धारित नहीं करेंगे, उनके आवेदन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

g. ऑफलाइन/हार्डकॉपी के माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

h. अधूरे/अपूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

i. वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र का विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

j. लिखित परीक्षा केन्द्र हेतु दिये गये विकल्पों में से किसी एक परीक्षा केन्द्र विकल्प का चयन किया जाना अनिवार्य है। परीक्षा केन्द्र शहर का विकल्प सावधानी पूर्वक चयन करें। परीक्षा केन्द्र शहर में संशोधन अनुमन्य नहीं है।

- k. ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानी पूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर **Click** करें एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **I Agree** पर **Click** करें।
- l. वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (50KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर JPG FORMAT (50Kb से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।
- m. आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी आवेदन पत्र पर **Continue** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।
- n. आवेदन पत्र सही भरने के पश्चात् अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।
- o. अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा ही जमा करा सकते हैं।
- p. उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑनलाइन आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
- q. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि तक ही मान्य होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि के उपरान्त के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

18. ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा किये जाने हेतु प्रक्रिया:-

ऑनलाइन आवेदन भरने के तीन चरण हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

- a. Step 1: Registratiom
- b. Step 2: Application Submission
- c. Step 3: Fees Payment

➤ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का विवरण:-

- a. आवेदकों द्वारा UKMSSB की वेबसाइट **www.ukmssb.org** के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन भरने का कोई अन्य साधन/मोड स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- b. आवेदकों को पहले UKMSSB की वेबसाइट **www.ukmssb.org** पर Apply Now में जाकर "Candidate, register Here" लिंक पर क्लिक कर अपना Registration करना अनिवार्य होगा।
- c. आवेदकों को Registration करने के लिए वैध ई-मेल आई.डी. और मोबाईल नम्बर का होना आवश्यक है।
- d. आवेदकों को Registration प्रोफाइल में दी गई सभी सूचनाओं को ध्यान से भरना होगा और इसे सुरक्षित (Save) करना होगा।
- e. आवेदकों को नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर की 'ईमेज' को स्कैन कर अपलोड कराना होगा।
 - फोटो का साइज (पासपोर्ट साइज) (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
 - स्कैन किये हुए हस्ताक्षर का साइज (अधिकतम 50 केबी) (JPG Format)
- f. 'Registration Number' के साथ लॉग-इन होने के पश्चात् आवेदक ऑनलाइन आवेदन लिंक के तहत सक्रिय विज्ञापन देख सकते हैं।
- g. Registration Form आवेदक की योग्यता विज्ञापन में लिखित आवश्यक पात्रता मानदंडों से मिलान करता है। यदि आवेदक पात्रता को पूरा नहीं करता है तो अयोग्यता का उचित संदेश ऑनलाइन पोर्टल

द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे में यदि अभ्यर्थी योग्यता धारित करते हैं तो उन्हें पहले Registration Form को संशोधित करना होगा। परन्तु यदि अभ्यर्थी गलत तथ्य भरकर परीक्षा में सम्मिलित होता है अथवा अर्हता धारित नहीं करने पर गलत डाटा अंकित कर आवेदन पत्र भरता है तो अभिलेख सत्यापन के समय उन्हें अनर्ह कर दिया जायेगा।

- h. केवल पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों के आवेदन सिस्टम द्वारा स्वीकार किये जाएंगे।
- i. आवेदकों को ऑनलाईन आवेदन पत्र हेतु शुल्क जमा करने से पूर्व निर्धारित प्रारूप पर अपने शैक्षिक, स्थाई निवास प्रमाण पत्र (यदि हो), जाति प्रमाण पत्र, एक संयुक्त पी0डी0एफ0 में अपलोड किये जाने अनिवार्य हैं।
- j. अभ्यर्थी आवेदन Submit होने के बाद अपने आवेदन में बदलाव नहीं कर सकेंगे।
- k. उस आवेदक के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसके आवेदन के शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है।
- l. UKMSSB द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान निम्नलिखित साधनों द्वारा किया जा सकता:-

- नेट बैंकिंग
- डेबिट कार्ड
- क्रेडिट कार्ड

19. **शुल्क:-**ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा। तत्पश्चात् पूरा आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (Net Banking/Debit Card/Credit Card) के माध्यम से जमा करा सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन आवेदन की प्रति अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन/परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-

क्र.सं.	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	₹300/-मात्र
02	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(ई0डब्लू0एस0)	₹150/-मात्र
03	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	₹300/-मात्र
04	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (एस0सी0)	₹150/-मात्र
05	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति(एस0टी0)	₹150/-मात्र
06	उत्तराखण्ड दिव्यांग	₹150/-मात्र

नोट:-

- a. उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक उप-श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।
- b. जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।
- c. परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

20. (क) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शासनादेश संख्या 310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26 फरवरी, 2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-23/XXX(2)/2019-30(1)/2019 दिनांक 29 अप्रैल, 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, विज्ञापन में निर्धारित आवेदन की अन्तिम तिथि तक निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। **आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु जारी मान्य होगा जो वित्तीय वर्ष 2022-23 की आय के आधार पर जारी किया गया हो।**

(ख) क्षैतिज आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं उत्तराखण्ड महिला आरक्षण हेतु अधिवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

21. सामान्य निर्देश-

- a. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें।
- b. बोर्ड अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है, इसलिए अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए।
- c. परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- d. ऑनलाईन मूल आवेदन-पत्र में दर्शाये गये विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- e. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति-सूची आदि में तथा बोर्ड के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गये हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गये हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो बोर्ड उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।
- f. हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- g. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।**
- h. बोर्ड से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अपलोड किये हैं। बोर्ड के साथ पत्राचार अभ्यर्थी के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति का मान्य नहीं होगा।

- i. शैक्षिक अर्हता, जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।
- j. अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएँ बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः बोर्ड की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।
- k. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।
- l. **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित**— परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती के अनुसूचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम – 2023 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- m. **परीक्षा भवन में आचरण**— कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु बोर्ड द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचार के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (ओ0एम0आर0) की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका की मूल प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम रोक दिया जायेगा एवं उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- n. **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही**— अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें बोर्ड की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। परीक्षा के उपरान्त चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।
- o. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि बोर्ड को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

p. अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया जाएगा—

- i. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषाण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल कना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा
- ii. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लीगा प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा
- iii. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो, कूटरचित प्रवेश पत्र के कसाथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा
- iv. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा
- v. गलत या झूठे व्यक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा
- vi. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से सम्बन्धी गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या
- vii. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या
- viii. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा
- ix. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा
- x. परीक्षा संचालन के लिए बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचायी हो, अथवा
- xi. परीक्षा कक्ष में परीक्षा के दौरान घड़ी/स्मार्टवॉच/मोबाइल फोन/पेजर या बोर्ड द्वारा वर्जित किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, अथवा
- xii. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे:—
 - a. बोर्ड द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, जिसमें वह प्रतिभाग कर रहा है, और/अथवा
 - b. उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:—
 - (1) बोर्ड द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है,
 - (2) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है,
 - c. यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि:—

- (1) अभ्यर्थी को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और,
- (2) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, बोर्ड द्वारा विचार कर लिया गया हो।
22. **अंगूठे का निशान (Thumb Impression)**— सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराए गए उपस्थिति प्रपत्र में निर्धारित स्थान पर अपने अंगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अंगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अंगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
23. **लिखित परीक्षा में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना सम्बन्धी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।**
24. **उत्तर कुँजी आपत्ति**— वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुँजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा और अभ्यर्थी उत्तर कुँजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व सम्बन्धित उत्तर के सम्बन्ध में अपनी आपत्ति साक्ष्य सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर बोर्ड द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण सम्बन्धित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
25. जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।
26. परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकार किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी बोर्ड की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
27. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।
28. अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।
29. आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन/नियोक्ता अधिकारी/प्राधिकारी को ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।
30. यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिमानी अर्हता धारित अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, तत्पश्चात् आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा, यदि आयु समान है तो अंग्रेजी वर्णमाला में नाम के अनुसार अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जायेगा।
31. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

32. परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम, समय तथा परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की वेबसाइट www.ukmssb.org पर उपलब्ध कराये जाने वाले प्रवेश-पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
33. यदि कोई अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है तथा परीक्षा के सम्बन्ध में भ्रामक सूचनाओं का प्रसारण करता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम- 2023 में किये गये संगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
34. यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाईन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु बोर्ड की ई-मेल helplineukmssb@gmail.com पर सम्पर्क कर सकते हैं।
35. लिखित परीक्षा माह फरवरी-मार्च 2024 में आयोजित की जानी प्रस्तावित है।

ह0/-
(गरिमा रौकली)

सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।